

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 134-2018/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 10, 2018 (SRAVANA 19, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 अगस्त, 2018

संख्या 76/जी.एस.टी.—2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे इस अधिसूचना में इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 168 के साथ पिठत हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, राज्य कर आयुक्त, हरियाणा, इसके द्वारा, यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर—3ख में विवरणी, ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन या उससे पूर्व सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी।

2. प्ररूप-जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए करों का संदायः प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अन्तिम तिथि के अपश्चात्, जिसको उससे उक्त विवरणी फाईल करना अपेक्षित है, यथास्थिति, इलेक्ट्रोनिक नकदी खाता या इलेक्ट्रोनिक प्रत्यय खाता के विकलन करते हुए जैसा कि प्रथम पैरा में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य राशि के संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन करेगा।

आशिमा बराड़, आबकारी तथा कराधान आयुक्त—कम—राज्य, कर आयुक्त, हरियाणा।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 10th August, 2018

No.76/GST-2.- In exercise of the powers conferred by section 168 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with sub-rule (5) of rule 61 of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner of State Tax, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for each of the months from July, 2018 to March, 2019 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twentieth day of the month succeeding such month.

2. Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B.— Every registered person furnishing the return in FORM GSTR-3B of the said rules shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as specified in the first paragraph, on which he is required to furnish the said return.

ASHIMA BRAR, Excise and Taxation Commissioner-cum Commissioner of State Tax, Haryana.

56461—C.S.—H.G.P., Chd.